

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक NO F(2) FD(RULES) 06 PART-I JAIPUR दिनांक 11 जून, 2014 एवं 07 अगस्त, 2014 की पालना में नीचे वर्णित प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परिवीक्षाकाल की अवधि में निम्नांकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण/अवैतनिक अवकाश एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.सं	नाम प्राध्यापक मध्य पदस्थापन स्थान (राजमावि/बालिका) श्री/श्रीमती/कुमारी	लिये गये अवकाश की अवधि	दिनों की संख्या	अवकाश का प्रकार
1	रोकेन्द्र सिंह शेखावत-नाडोल, पाली	15.02.2018 से 19.04.2018	64 दिन	अवैतनिक
कुल-64 दिन				
2	वर्षा रामरिया-माजीवाला, बाडमेर	02.08.2018 से 04.08.2018	03 दिन	अवैतनिक
		20.08.2018	01 दिन	
कुल-04 दिन				
3	मानसिंह गुर्जर-सनवाड, उदयपुर	21.03.2018 से 24.03.2018	04 दिन	अवैतनिक
		02.04.2018 से 04.04.2018	03 दिन	
		19.04.2018 से 28.04.2018	10 दिन	
		02.05.2018	01 दिन	
		05.07.2018 से 06.07.2018	02 दिन	
		09.07.2018 से 11.07.2018	03 दिन	
		18.07.2018 से 19.07.2018	02 दिन	
		30.07.2018 से 04.08.2018	06 दिन	
		01.10.2018 से 13.10.2018	13 दिन	
24.11.2018	01 दिन			
कुल-45 दिन				
4	धर्मेन्द्र-ईडरा, डूंगला, चित्तौड़गढ़	02.10.2018 से 13.10.2018	12 दिन	अवैतनिक
		22.10.2018 से 25.10.2018	04 दिन	
		14.01.2019 से 22.01.2019	09 दिन	
		24.06.2019 से 27.06.2019	04 दिन	
कुल-29 दिन				
5	रचना वर्मा-करेडा, भीलवाडा	22.10.2018 से 24.10.2018	03 दिन	अवैतनिक
		26.10.2018	01 दिन	
कुल-04 दिन				
6	मोनिका रातौड़-आमदला, माण्डल, भीलवाडा	12.04.2019	01 दिन	अवैतनिक
		18.04.2019	01 दिन	
		20.04.2019	01 दिन	
कुल-03 दिन				

(हस्ताक्षर)

7	चन्दा चौहान-भोजपुर, शाहपुरा, भीलवाडा	07.02.2018 से 08.02.2018	02 दिन	अवैतनिक
		27.08.2018	01 दिन	
		04.09.2018	01 दिन	
		06.09.2018	01 दिन	
		27.10.2018	01 दिन	
कुल-06 दिन				
8	दिनेश कुमार मीणा-ख्यावदा, ईटावा, कोटा	03.10.2018 से 14.10.2018	12 दिन	अवैतनिक
कुल 12 दिन				



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-6/राज0विज्ञान/अवकाश/2019 दिनांक:- 01.11.2019

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
4. संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
5. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान